Book No. :- 1 Deed No. 10916

Serial No. 11142 Circle:-:Danapur

Serial No. 11142 Deed No. 10916

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **17/10/2015** by **Madan Mohan Singh**
A stamp duty of Rs. **105600**/- and other fees of Rs. **20400**/- has been paid in it
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **10916** in Book No. **1**, Volume No. **218** on pages from **417** to **429** and has been preserved in total **13** pages in C.D. No. **34** / Year **2015**

17/10/2015
Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 17/10/2015 Token No: 11235 /2015

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
17.10.15

विकास कार्य एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

यह एकरारनामा आज दिनांक 17 अक्टुबर 2015 ई० को

निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 11235 | Reg. Year 2015 | Serial Number 11142 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index		Ring	
Claimant	Ravindra Kumar Chaudhary						
Sig.	R.K. Chaudhary 17.10.15						
Executant	Madan Mohan Singh		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.	17-10-15						
Presented By	Madan Mohan Singh						
Sig.	17-10-15						
Identified By	Arun Kumar Singh						
Sig.	17/10/2015						

SCORE Ver.3.0 Powered by InfoSystem and Solutions,Patna Biometric Captured By 2802so

Sample output to test PDF Combine only

श्री मदन मोहन सिंह पिता स्वo राम विलास सिंह साकिन– कोथवाँ, पोस्ट वो थाना– खगौल, जिला– पटना (प्रथम पक्ष) " भूखण्ड स्वामी" से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका सम्बन्ध भूखण्ड स्वामी के भूखण्ड निहित प्रतिनिधित वारिसान सदस्य/प्राधिकृत एजेन्ट/उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है ।

एवम्

रौनक वाटिका प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय– 108 इमारत फिरदौस, एक्जीबिशन रोड, थाना– गाँधी मैदान, जिला– पटना राज्य– बिहार, द्वारा निर्देशक श्री रविन्द कुमार चौधरी पिता श्री बनवारीलाल साकिन– ए/फ–9 बी पुष्प विहार, एक्जीबिशन रोड, थाना– गाँधी मैदान, जिला– पटना, "विकासकर्ता" (द्वितीय पक्ष) यहाँ "विकासकर्ता" द्वितीय पक्ष से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्ता से है सम्मिलित किया जाता है।

PAN- AADCR9925K

1– यह कि ऊपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य भूखण्ड स्वामी है जो कि नीचे वर्णित भूखण्ड जिसका रकबा 16.5 डीसमल (सोलह दशमलव पांच डीसमल) मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से है जो कि मौजा– कोथवाँ, सर्वे थाना– दानापुर, हाल थाना– खगौल, सब रजिस्ट्री– दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला– पटना में स्थित है, जिसका सर्वे थाना नं0– 37 (सैंतीस), भूल्याँकन कोड नं0–158, तौजी नं0– बिहार सरकार, खाता नं0– 151 (एक सौ एकावन), सर्वे प्लौट नं0– 329 (तीन सौ उनतीस) का अंश, जिसका सलाना लगान मो0 2.00 रूपया अलावे शेष वजरिये अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय, दानापुर में स्थित है । सम्पत्ति नगर परिषद दानापुर निजामत के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
17/10/15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary

Sample output to test PDF Combine only

चौहद्दी

उत्तर : आहर ।

दक्षिण : स्व0 राजदेव सिंह ।

पुरब : धर्मराज सिंह ।

पश्चिम: रौनक वाटिका प्रा0 लि0

यह कि उपर्युक्त प्लौट नं0– 329 प्रथम पक्ष की खानदानी सम्पत्ति है जो कि पूर्वाधिकारियों उपरान्त अपने पट्टीदारान एवं गोतियारान से जरिये आपसी खानगी बंटवारा के द्वारा विभक्त होकर खाना नं0–6 की एराजी दो अन्यान्य एराजी प्रथम पक्ष के पिता श्री राम विलास सिंह को खास हक दो हिस्सा में मिला जिसपर रामविलास सिंह काबिज दखिल चले आ रहे थे दो कुछ अर्से बाद राम विलास सिंह अपने के वारिस अपने दो पुत्रगण 1. भरत सिंह, 2. श्री मदन मोहन सिंह (प्रथम पक्ष) एवं पत्नी नेम कुंअर देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास पिता एवं पति के सभी उत्तराधिकारी सम्पत्ति पर काबिज दखिल चले आ रहे थे दो कुछ अर्से बाद एक पंचनामा के आधार पर गवाहन के समक्ष दिनांक 12–09–1985 ई0 को सभी फरीकैन आपस में खानगी बंटवारा कर लिये बंटवारा फलस्वरूप खाना नं0–6 की एराजी दो अन्यान्य एराजी प्रथम पक्ष को खास हक दो हिस्सा में मिला जिसपर प्रथम पक्ष काबिज दखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर दी रहकर उससे उत्पत्तित आय का उपयोग व उपभोग मौजूदा वक्त तक शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है दो है दो मालगुजारी लगान सालाना साल व साल इजमाल परिवार में अपने पिता श्री राम विलास सिंह के नाम से जमाबन्दी नं0– 104, सन् 2001–02 ई0 पर अदा दो वसूल करत चले आ रहे है।

2– यह कि ऊपर वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड स्वामी है तथा वर्णित सम्पत्ति (भूखण्ड) पर भूखण्ड स्वामी का दखल कब्जा शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है भूखण्ड हर प्रकार के स्वत्वदोष दो ऋण भार से मुक्त तथा नुवस हकियत दो वारदेन से पाक साफ है।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

3– यह कि भूखण्ड स्वामी आन्तरिक इच्छा से ऊपर वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के लिए साथ–साथ उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत (आवासीय) आधुनिक तकनीक से फ्लैटों का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) उभय पक्षों के बीच निष्पादन आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालत में अपना–अपना नफा–नुकसान सोच समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किया जाता है ।

4– यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गए निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत है । इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च का विकासकर्ता पूर्णतया वहन करेंगे–।

5– यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) अपने हस्ताक्षर के माध्यम से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनाएँगे जिसमें कि दोनो पक्षों को अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधा हो सके ।

6– यह कि भूखण्ड स्वामी को उपर्युक्त नक्शा पी० एम० सी० अनुमति लेने के लिए विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) के हस्ताक्षर से जमा किया जाएगा, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नहीं होगा, परन्तु इसमें जो खर्च होगा यानि सभी खर्च विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे ।

7– यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल का 50% (पचास प्रतिशत) भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौंपेंगे तथा शेष निरत 50% (पचास प्रतिशत) क्षेत्रफल विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का होगा ।

8– यह कि भूखण्ड स्वामी का हिस्सा एवं विकासकर्ता का हिस्सा Architect द्वारा बनाये जाने के बाद एवं सम्बंधित ऑथोरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद आपसी सहमति से तय हो जायेगा कि कौन सा एरिया भूखण्ड स्वामी का होगा एवं कौन सा एरिया विकासकर्ता का होगा ।

9– यह कि विकासकर्ता पी० एम० सी० से नक्शा स्वीकृत होने के दिन से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करेंगे इसके अतिरिक्त 6 महीने (छः महीने) का समय इस अवधि दिया जायेगा । यदि होने

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
17/10/15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

विधिवत पोजेशन लेने के बाद विकासकर्ता 6 माह के अन्दर नक्शा बनवाकर दानापुर नगर परिषद में दाखिल कर देंगे, अगर किसी सरकारी कारणवश नक्शा पास नहीं होता है तो वैसी स्थिति जब नक्शा पास होगा उस दिन से समय तय समय प्रारम्भ होगा ।

10– द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से का 50% (पचास प्रतिशत) तथा पार्किंग एरिया का 50% (पचास प्रतिशत) बिक्री एवं एकरारनामा करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

11– यह कि विकासकर्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से का 50% (पचास प्रतिशत) निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ डिलीवर कर निर्माण अवधि के अन्दर सौंप देंगे ।

12– यह कि एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक–दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सिढी, लिफ्ट, बालकोनी, एमिनीटिज, फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग उनके कमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होंगे ।

13– यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी प्रकार के कानुनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे की प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके । निर्माण कार्य में लागत पुंजी का कुल समावेश द्वितीय पक्ष स्वयं करेंगे । पुंजी सुविधा हेतु द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी भी बैंक अथवा वित्तिय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने से 50% (पचास प्रतिशत) क्षेत्र पर से ही द्वितीय पक्ष करेंगे ।

14– यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जाए तब वैसी हालत में विकासकर्ता का दोष नहीं होगा । इस हालत में विकासकर्ता द्वारा कार्य रुकने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा, उतना दिन के लिए अवधि बढ़ा दिया जायेगा ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chandel
17/10/15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chandel
Director

Sample output to test PDF Combine only

15– यह कि सभी संबंधित विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति विकासकर्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

16– यह कि बहुमंजिली इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट, ओजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य सम्बंधित कार्यो हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन विकासकर्ता कर सकते है।

17– यह कि द्वितीय पक्ष 50% (पचास प्रतिशत) हिस्से का एग्रीमेन्ट निर्विवाद बिक्रय पत्र, अर्वटन, किरायानामा आदि अभिलेख हेतु वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों का निष्पादन करेंगे ।

18– यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा, द्वितीय पक्ष को कार्यालय में उपयोग हेतु फोटो प्रति दिया जायेगा, जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे ।

19– यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों को स्थानांतरण क्रेता को सरकारी खर्च, स्टाम्प ड्यूटी खर्च एवं कोर्ट खर्च एवं रजिस्ट्रेशन खर्च वहन खरीदार करेंगे ।

20–यह कि हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन, हर फ्लैट में एक टेलिफोन प्वाईंट और एक टेलिविजन का प्वाईंट होगा । उभय पक्षों के हर फ्लैट में जेनरेटर का कनेक्सन द्वितीय पक्ष द्वारा मुहैया कराया जायेगा ।

21– यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू–स्वामी एवं विकासकर्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय अविट्रेशन एक्ट 1940 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

22– यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्ता और उनके पक्ष के द्वारा एक एसोसिएशन सभी सदस्यों को बनाया जायेगा । इस अपार्टमेन्ट में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसिएशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेन्ट का रख–रखाव एवं देख–भाल करेंगे ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R. K. Chaudhary
17/10/15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R. K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

23– यह कि अपार्टमेन्ट में निजी तौर पर विद्युत ट्रांसफरमर एवं जेनरेटर बैठाया जायेगा, जिसका खर्च प्रथम पक्ष का 50% (पचास प्रतिशत) का द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50% (पचास प्रतिशत) हिस्सा का द्वितीय पक्ष अपने बिक्री फ्लैट मालिक से वहन करेंगे ।

24– यह कि भूखण्ड स्वामी एवं दस्तावेज के अनुसार जमीन का रकवा 16.5 डीसमल (सोलह दशमलव पांच डीसमल) है लेकिन जमीन का पोजिशन देते समय नापी के अनुसार जमीन का रकवा जितना कम होगा वर्गफीट भूखण्ड स्वामी के निर्मित हिस्से की एरायी, विकासकर्ता के हिस्से में समायोजित होगा एवं वह निर्मित एवं समायोजित हिस्सा विकासकर्ता को बिक्री करने का अधिकार होगा ।

25– यह कि सभी न्यायिक मामलों को निपटारा पटना अधिनिस्थ न्यायालय से किया जायेगा ।

26– यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने शेयर का निष्पादन अपार्टमेन्ट एक्ट के तहत कर सकते है ।

27– यह कि जमीन मालिक के हिस्से के फ्लैट पर होने वाले सरकारी खर्च (भारत सरकार या बिहार सरकार) देय है तो उक्त सरकारी खर्च का वहन जमीन मालिक अदा करेंगे ।

28– यदि निर्माण की अवधि में विलम्ब होता है तो विकासकर्ता जमीन मालिक को विलम्ब की तिथि से 12500/– (बारह हजार पांच सौ रूपया) प्रत्येक महीना कार्य पूर्ण होने तक अदा करेंगे ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
17/10/15

Sample output to test PDF Combine only

" परिशिष्ट "

1– फाउन्डेशन	: आर0 सी0 पाईलिंग स्ट्रक्चर डिजाईनर के अनुसार भूकम्प अवरोधी ।
2– स्ट्रक्चर	: आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3– सिविल वर्क	: प्रथम श्रेणी का ईंट वर्क सीमेन्ट मेटेरियल के साथ
4– छत	: आर0 सी0 सी0
5– फर्श	: वर्टिफाइड टाईल्स
6– प्लास्टर	: सीमेन्ट मोर्टार 1:6 सीलिंग 1:4
7– दरवाजा	: लकड़ी का फ्रेमवर्क 32mm मोटा फ्लैट में निर्मित फ्लश डोर पैनल ।
8– खिड़की	: लकड़ी / अल्युमिनियम विन्डो
9– रसोई घर	: ग्रेनाईट का वर्किंग प्लेटफार्म 2 फिट प्लेज टाईल्स का उपयोग किया जायेगा ।
10– बाथरूम	: दिवार में 7 फीट ग्लेज्ड टाईल्स तथा टाईल्स फ्लोरिंग के साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग नल फिटिंग, पीनी सिट्टी का सफेद पैन फिटिंग मास्टर बेडरूम टायलेट में शावर एवं अन्य टायलेट का व्यवस्था ।
11– विधुत वायरिंग	: कोनसलड पी0 वी0 सी0 कन्डयुट वायरिंग कोपर स्टैण्ड क्वालिटी का फिटिंग के साथ आई एस आई0 मार्का का ।
12– अन्दर फिनिशिंग	: सभी दिवारो तथा भितरी छत में प्लास्टर ऑफ परिस का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारे प्लास्टर होगी
13– टीवी प्वाईन्ट	: सभी फ्लैटो में एक ड्राइंग रूम में ।
14– टेलीफोन प्वाईन्ट	: सभी फ्लैटो में एक प्वाईन्ट
15– सीवेज	: सीवेज डिजाईन के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था ।
16– ए0 सी0 प्वाईंट	: मास्टर बेडरूम में ।
17– फायर फाइटिंग	: सभी फ्लो में रहेगा ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

यह कि भूखण्ड पूर्णतः परती है जो आवासीय सहायक रोड पर स्थित है, जिसका सरकारी कीमत लगभग 52,80,000/- रुपया है, इस तरह सम्पूर्ण 16.5 डीसमल जो कि 7187.4 वर्गफीट के समतुल्य होता है ।

यह कि यह दस्तावेज विकासकार्य दोनो पक्ष के कथनानुसार तैयार किया गया है जो कि दोनो पक्षों सभी बातों पर सहमत है तथा वादा करते है कि मिल जुल कर इस कार्य को पूरा करेंगे ।

दिनांक : 17/10/2015

गवाह का हस्ताक्षर :-

1) Amit Kumar Singh
श्री अमित कुमार सिंह
पिता - श्री भगवान सिंह
पता - [illegible]
थाना - [illegible]
उम्र - 25 वर्ष
Amit Kumar Singh.

2) Surya Kant
S/o Sri S.N. Sharma
Vill+P.O- Pitwas
P.S- Naubatpur, Patna
17-10-2015

भू-स्वामी (लेखकारी) का हस्ताक्षर :
17-10-15
17-10-15
PAN-CJEPS5569C

भू-विकासक (लेखकारी) का हस्ताक्षर :
For Raunak Vatika Pvt Ltd
R.K. Chaudhary
17/10/15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Drafted by self
17-10-15

प्रारूपकर्ता
17-10-15

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

दस्तावेज प्राप्त किया
17/10/15
हस्ताक्षर

17/10/15

नगर पंचायत दानापुर (पटना)

Sample output to test PDF Combine only

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 105600/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 126000/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
AB	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	20000		

LLR + Proc Fee		Service Charg
LLR	0	400
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20400

Registering Offi
Danap

Date: 17/10/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Saturday, 17th October 2015 by Madan Mohan Singh S/O-Late Ram Vilas Singh by profession Others. Status - Executant

17-10-15

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:17/10/2015

Registering Offi
Danap

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Arun Kumar Singh' age '45' Sex 'M', 'S/O-Bharat Prasad Singh', resident of 'Kothwan,khagaul,patna'). Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Offi
Danap

Date : 17/10/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 218 on pages on 417 - 429 , for the year 201 stored in CD Volume No CD-34 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Of
Dan

Date : 17/10/2015

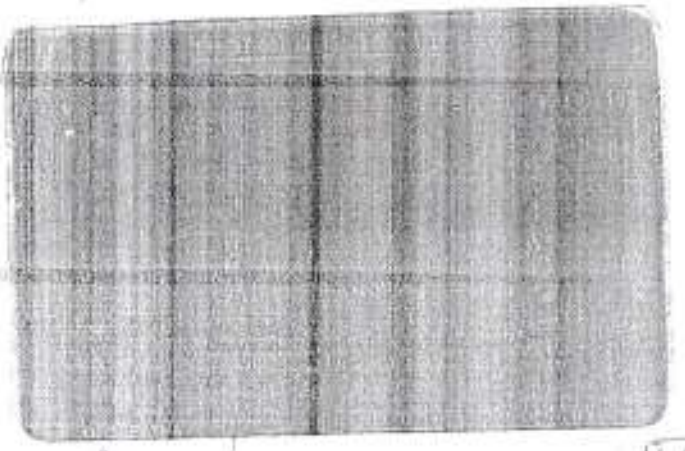
Token No. : 11235 Year : 2015 S.No. : 11142 SCORE Ver.3.0 Deed No. : 105

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Scanned by

Sample output to test PDF Combine only



95-119

17/10/2015

Tal 11235

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

12/6/1
12/11

नाम श्री मदन मोहन सिंह ग्राम कोअवां

थाना खगौल जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि0
कोअवां, फतुहा 37	809	151	329		16½

आवेदक मदन मोहन सिंह पुत्र स्व रघुवीर सिंह ग्राम कोअवां का वासी सं० 37 में सर्वे के ग्राम कोअवां के खाता 151 खेसरा 329 रकबा 16½ डि० भूमि का मालिक है। 12-13 पंजी II में वर्णित है। तथा उसके कब्जे में है। [illegible] कब्जे में है।

आवेदक के हस्ताक्षर

मदन मोहन सिंह

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

For Ramesh Vatika Pvt. Ltd.
Director

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Sample output to test PDF Combine only

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थड़ी बी.आना नम्बर

दानीपुर कोटवाँ 37

नाम पैमा। नाम वाजिबात आबपाशी
वो नम्बर।

V

X
86

78154

जिलाजीतसिंह

आराजी मालगुजारी

९-६-९३ तक

पिता का नाम

स्वर्गीय इकबाल हुसैन मालगुजार।

स्वर्गीय नाथसिंह स्वरूपसिंह सम्पत्तिपत्ता

जोत के लगाना माल मय हकदारान (बकाया को अलग) मौजूदा साल का।

माल वाजिब उल अदा २०९२-२०९३		सालाना	बकाया				वसूल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल-	(नकदी)	१६.८०				१६.८०	१६.८०
पुजारी	(गावली)	४.००				४.००	४.००
रोल		२.००				२.००	२.००
*सुद		२.००				२.००	२.००
मुकर्ररात		३.२०				३.२०	३.२०
मौजान		३७.२०				३७.२०	३७.२०

तफसील अदायकारी।

अदायकारी वाबत २०९२-२०९३		बकाया				मौजूदा साल	वसूल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल-	(नकदी)				१६.८०	१६.८०	
पुजारी	(गावली)				४.००	४.००	
रोल					२.००	२.००	
*सुद					२.००	२.००	
मुकर्ररात					३.२०	३.२०	
मौजान अदायकारी					३७.२०	३७.२०	८.६०

(1) मौजान कुल (अक्षरों में) —सैंतीस रुपया बीस पैसा मात्र

(2) सन बकिया —सर्वत्र

(3) कुल बकाया —०

दस्तखत मालगुजार

*सूद मद्देल सन बकाया मालगुजारी पर (जेवाब रेल मालगुजारी पर जिस पर के लोग [illegible] खाता है।

पिता का [illegible]

९४/९३

P.T.O

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

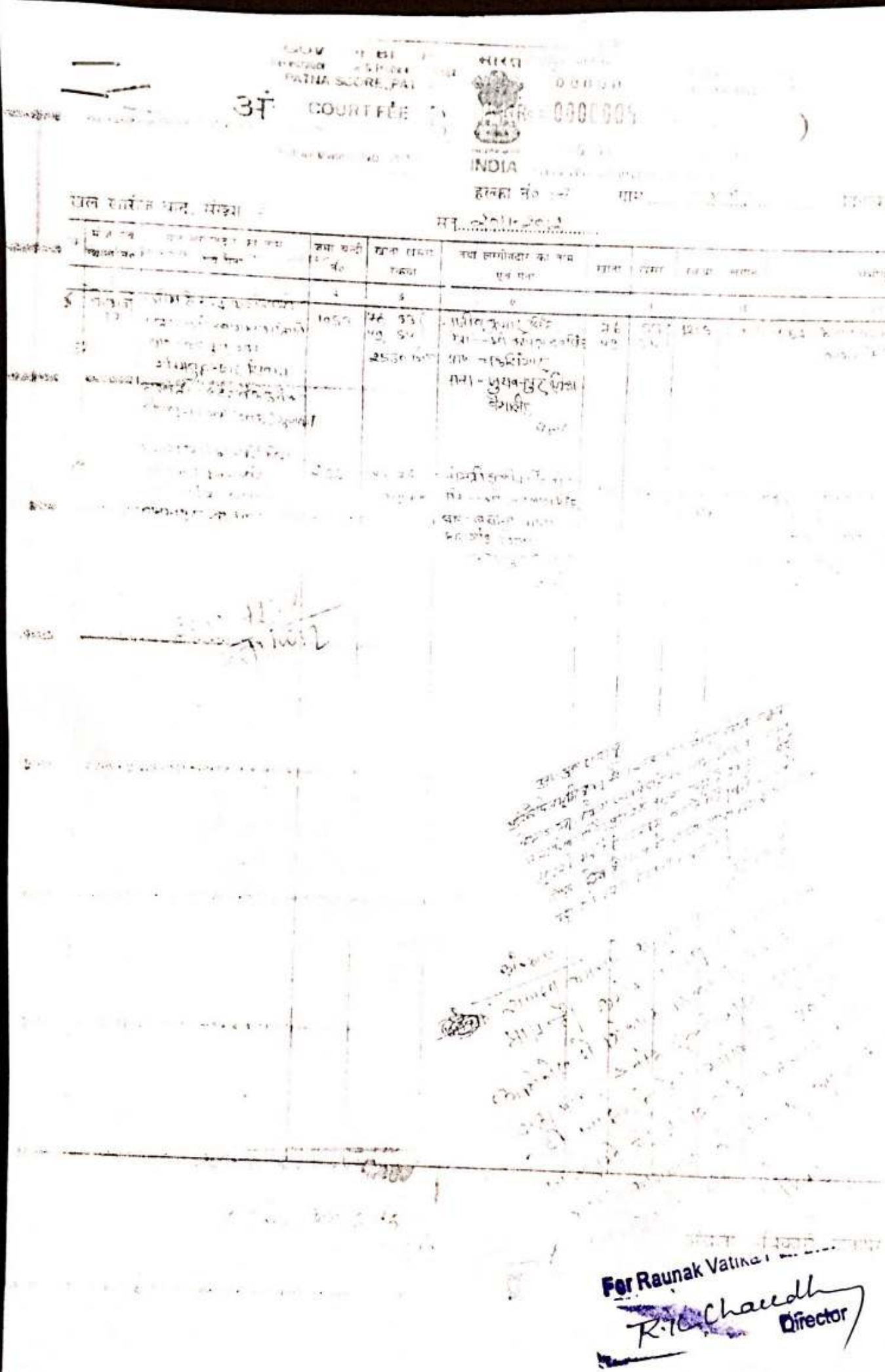
Sample output to test PDF Combine only

PATNA SCORE PAT

COURT FEE

भारत

INDIA



For Raunak Vatika

Director

Sample output to test PDF Combine only

COURT FEE

INDIA

For Raunak Vatika
R.C. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

थानापुर	कोशली 37	रौनक घाटी

अराजी मौजा

तफसील हिसाब लगान मालगी।

तफसील अदायगानी।

For Raunak Vatika P...
R.K Chaudh
Director

Sample output to test PDF Combine only

सेवामें,

श्री राज मुरलीधर जी
कायस्थ पंचायत
कायस्थ खेड़ा।

सविनय निवेदन यह है कि मैं [illegible]
स्व० राजनिवास [illegible]
रेख का रेख ओंकार तथा मेरे पिता स्व० रामनिवास के
नाम से है। करता आ रहा हूँ। श्री ओंकार पर मैं
आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पिता
स्व० रामनिवास सिंह का मृत्यु 1 अगस्त 1984
को हो गया था तथा मेरा [illegible]

स्व० लाखा सिंह

स्व० राजनिवास सिंह

श्री भरत सिंह

श्री भदवा ओंकार सिंह

स्व० भदवा सिंह

अर्जुन सिंह

अतः आपसे अनुरोध है कि [illegible]
को प्रमाणित करने की कृपा करें।
रेख का स्वर्गीय रेख पर [illegible]

10-2-12

रामनिवास
रामशिव राय मुखिया
ग्राम-कायस्थ पंचायत

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

Sch. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी ।

नाम सर्कल । नाम मौजा मय थाना व थाना नम्बर ।

फरद मालगुजारी/फरद रैयती ।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी व सकूनत । नम्बर ।

अराजी नगदी ₹ अराजी भुवली तफसील हिसाब लगान भवली ।

जोत का सालाना माल मय तफसील (बकाया व हाल) मौजूदा साल का ।

माल व वाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	हाल ।	
मालगुजारी (नगदी)	१६·००					१६·००
मालगुजारी (भावली)	४·००					४·००
सेस ...	—·००					—·००
*सूद ...	—·००					—·००
मुतफरकात ...	३·२०					३·२०
योजान	३३·२०					३३·२०

तफसील अदायकारी ।

अदायकारी बाबत ।	बकाया				मौजूदा हाल ।	याजिब
	तीन वर्ष से ज्यादा ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।			
मालगुजारी (नगदी)						
मालगुजारी (भावली)					४·००	
सेस ...					—·००	
*सूद ...					—·००	
मुतफरकात ...					३·२०	
योजान अदायकारी					३३·२०	३३·२०

(१) मालगुजार कुल (लगुजों में) वेलचाली व [illegible]

(२) नाम दहिंदा [illegible]

(३) बाद बकाया

दस्तगत वो तारीख अमला तहसील कलिन्दा ।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सार्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है ।

WITH OUT PREJUDICE

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only

प्रपोजल

श्री भरत सिंह व श्री मदन मोहन सिंह वल्दान स्व० रामविलास सिंह व मोसम्मात नीरा कुमारी पत्नी स्व० रामविलास सिंह सा० कोथवाँ थाना खगौल जिला पटना के वासी हैं। इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से निम्नलिखित पंचों को अपने बल की अचल सम्पत्ति के बटवारा करने के लिए चुने हैं।

1. श्री इन्द्र सिंह वल्द स्व० नारसिंग सिंह
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह वल्द स्व० परमानन्द सिंह
3. श्री कृष्णा नन्द सिंह वल्द स्व० [illegible] सिंह
4. श्री [illegible] सिंह वल्द स्व० [illegible] सिंह
5. श्री [illegible] सिंह वल्द स्व० [illegible] सिंह

[illegible] मौजे कोथवाँ थाना खगौल जिला [illegible] हैं।

सभी पंचों एक मत होकर निम्नलिखित फैसला किये:-

लाट नं० 1 मौजा कोथवाँ थाना दानापुर थाना नं० 39 फुलवारी जिला पटना तौजी नं० 208 की खाता नं० 15 प्लौट नं० 429 में 9½ डी० में मकान बना हुआ है जिसे श्री मदन मोहन सिंह को दिया गया।

लाट नं० 2 मौजा कोथवाँ थाना दानापुर थाना नं० 39 फुलवारी जिला पटना तौजी नं० 208 की खाता नं० 15 प्लौट नं० 429 में 2 डी० में मकान बना हुआ है जिसे श्री भरत सिंह को दिया गया।

नोट नं० 1. प्लौट नं० 429 के पू० [illegible] उत्तर से दक्षिण दिशा में है, दोनों भाइयों का [illegible] दीवाल होगा। इस दीवाल में लगी हुई समस्त खिड़की एवं रश्मों पश्चिम तरफ यानी प्लौट नं० 429 में रहने वाले श्री मदन मोहन सिंह का होगा। पूर्व की तरफ यानी प्लौट नं० 430 में रहने वाले श्री भरत सिंह दिनांक 1-12-85 के बाद कामन वाल (दोनों के दीवाल) में लगे हुए सभी खिड़की एवं रश्मों को [illegible] अधिकारी हैं वो

For Raunak Vatika Pvt. Etd.
R.C Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

श्री इनको श्री भरत मोहन सिंह अपने [illegible]

स.2. श्री भरत मोहन सिंह आपने [illegible]

[illegible]

स.3. श्री [illegible] के दीवाल [illegible] मौजी रास्ता [illegible] मकान [illegible] मौ. स. ५२० की श्रीमती सुमित्रा कुंवर [illegible] रास्ता से खरीदने के सबब [illegible] के बँटवारे में [illegible] तरफ में दिखाया गया है कि [illegible] मौजी रास्ता श्री [illegible] सिंह का है। श्री भरत मोहन सिंह अपने मकान मौ. मुंडेर नं. ५२० के उत्तर तरफ अपने कुएँ पर से १०' (दस फीट) मौजी दीवाल से छोड़ कर दीवाल बनेगी यह ६ फीट मौजी रास्ता में शामिल ही रहेगा दीवाल बनाने के बाद रास्ता [illegible] श्री भरत मोहन सिंह की तोड़ना नहीं [illegible] मौजी रास्ते में से दो व्यक्ति भी अंगल्हा [illegible] सकते हैं। स. 2 श्री भरत सिंह मौजी [illegible] दीवाल बनाना चाहेंगे तब इस हिस्से में से सही दक्षिण तरफ अपनी [illegible] दीवाल बनाकर उस पर छत्ता [illegible] मौजी रास्ता [illegible] श्री भरत मोहन सिंह [illegible]

स.4. मुंडेर नं. ५२० में रहने वाले [illegible] कुए से पानी लाकर अपने [illegible] तथा [illegible] बरतन मांजने का [illegible] श्री भरत सिंह कुंए का पानी तथा सीढ़ी का उपयोग [illegible] कुंए का पानी तथा सीढ़ी का उपयोग [illegible] श्री भरत मोहन सिंह [illegible]

Sample output to test PDF Combine only

नं. 5. फ्लैट नं. 521 में बने हुए तीन कमरा किचन में से दो कमरे, श्रीमती नीम कुंवर को जिंदगी भर तक रहने के लिए दिया जाता। उस कमरे में रहते श्री. मती. नीम कुंवर और जिस परिवार के साथ वह रहेगी उसी का परिवार रह सकता है। मती. नीम कुंवर अपनी सभी सामान उसी कमरे में रखेगी। मती. नीम कुंवर के मरने के बाद पूर्व वाला दरवाजा को श्री. मदन मोहन सिंह अपने खर्चे से बन्द कर लेंगे।

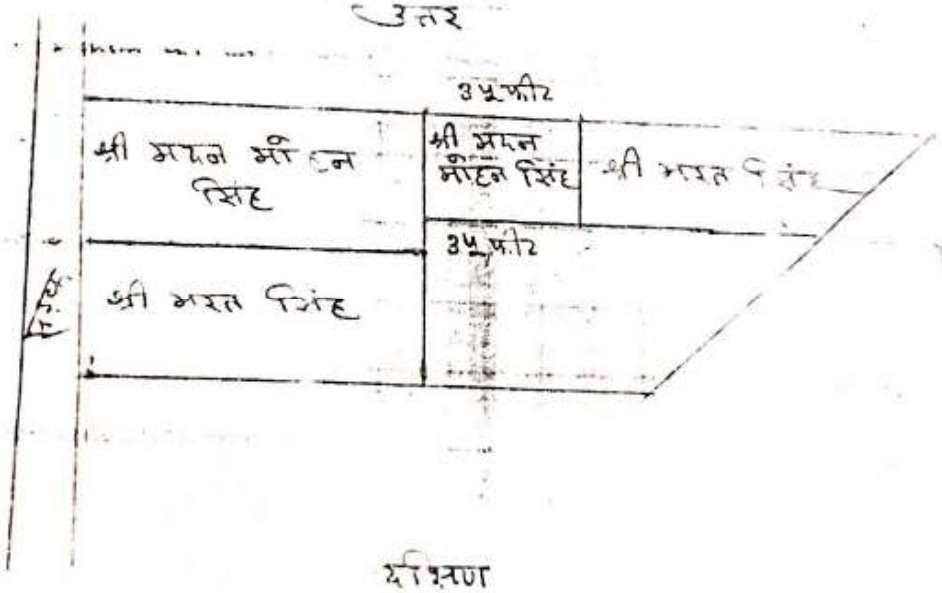
नं. 6. दिनांक 30.12.24 तक श्री भरत सिंह तथा श्री मदन मोहन सिंह अपने-अपने हिस्से के सामान को अपने परिवार के साथ स्थानांतरित हो जायेंगे।

नं. 7. फ्लैट नं. 520 में केवल 2 कमरे हैं। अतः उसमें सामान सुरक्षित रहने योग्य सामान रखने हेतु फ्लैट नं. 521 में रहने वाले श्री मदन मोहन सिंह 10,000/- (दस हजार रुपये) भरत फ्लैट नं. 520 में रहने वाले श्री भरत सिंह को दिनांक 30.12.24 के अन्दर देना होगा। श्री भरत सिंह 10,000/- (दस हजार रुपये) पाने का रसीद लिखकर श्री मदन मोहन सिंह को दे देंगे।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

मौजा [illegible] तप्पा रानापुर परगना [illegible] जिला [illegible]
तौजी नं. २०७ की खाता नं. ५७ प्लॉट नं. [illegible] में [illegible] एरिया १२ ½ डी
लाटनं. १. इस प्लॉट के कुछ भाग में मकान बना हुआ है जिसे उत्तर
तरफ दिशा में दो बराबर भागों में लाटनं. [illegible] उत्तर दिशा की ओर बने हुए
मकान को श्री मदन मोहन सिंह को तथा दक्षिण दिशा की ओर बने हुए
मकान को श्री भरत सिंह को दिखाया गया।
लाटनं. २. बने हुए मकान का पूर्व की ओर [illegible] जाने [illegible]
की जमीन का २ परती है उसमें [illegible] पेशकार) रहता चौहरयाकी
के पुत्र की पौत्र की जमीन उत्तर दिशा की ओर रहने वाले श्री मदन
मोहन सिंह [illegible] तथा शेष बचा हुआ [illegible] दक्षिण दिशा की ओर
रहने वाले श्री भरत सिंह को दिखाया गया।
[illegible] नीचे निम्न प्रकार है।



नोट नं. १. दिनांक १७.१०.८५ तक श्री भरत सिंह तथा श्री मदन मोहन सिंह अपने अपने हिस्से के बने मकान तथा परती जमीन पर स्थानांतरित हो जायेंगे।

Sample output to test PDF Combine only

सी० एस० नं० १

श्री भरत सिंह पुत्र स्व० रामविलास सिंह की मिल्कियत ।

लाट नं० १. मौजा मुस्तफापुर थाना दानापुर थाना नं ३६ परगना फुलवारी जिला पटना ।

तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	ए० डी०	दिशा
५२४१	३	२२२ में	० ० ६	दक्षिण
	४२	५३६ में	० २५	उत्तर
		१०४७ में	० ० ६	उत्तर
		१०५५ में	० ० १	पश्चिम
	६५	५६१ में	० १९ ½	पश्चिम
	२६	२२३ में	० ३१	उत्तर
सामिलात	१४२	२१५ में	० २६ ¾	उत्तर
			१।० ५ ½	बाद ऊपर ५

लाट नं० २. मौजा मुस्तफापुर थाना दानापुर थाना नं० ३६ परगना फुलवारी जिला पटना ।

तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	ए० डी०	दिशा
५२१६	१५५	६५६ में	० ० ५ ½	पश्चिम

लाट नं० ३ मौजा मौचवां थाना दानापुर थाना नं० ३६ परगना फुलवारी जिला पटना ।

तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	ए० डी०	दिशा
५१२२	१०	६२२ में	० १२ ½	उत्तर
	२०	६२२ में	० ० २	उत्तर
	२७	५७७ में	० ० २	उत्तर
	५५	३४२ में	० ० ५	उत्तर
			० १५	उत्तर
		३७२ में	० १० ½	उत्तर
		४०७ में	० ० ६ ½	पश्चिम
२०५२	६२	३४५ में	० २० ½	उत्तर
	२१	१३४ में	० १०	उत्तर
	११०	२२६ में	० ० २	उत्तर

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

सीडा जिला सं. ३

श्री म. न मोहन सिंह वल्द स्व० रामविलास सिंह को मिला

ला.न. १. मौजा मुस्तफापुर थाना दानापुर थाना नं. ३६ मुगना

फुलवारी जिला पटना।

तौजी नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	ए. डी.	किस्सा
५१४	४८	ऽ३८ भैं	०.२५ ½	दक्षिण
		१०४ भैं	०.० ६ ½	दक्षिण
		१०५ भैं	०.० ८	पूर्व
	६५	ऽ६१ भैं	०.१९ ½	पूर्व
	८६	८८३ भैं	०.३१	दक्षिण
सामिलात	१४८	८१५ भैं	०.२६ ½	दक्षिण
			५.०ऽ ½	भाग ऽ.४५ ½

लाट नं. २ मौजा मुस्तफापुर थाना दानापुर थाना नं. ३६ मुगना

फुलवारी जिला पटना।

तौजी नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	ए. डी.	किस्सा
५१४	१५	६५६ भैं	०.०ऽ ½	पश्चिम आल ०.१५

लाट नं. ३ मौजा कौआवाँ थाना दानापुर थाना नं. ३६ मुगना

फुलवारी जिला पटना।

तौजी नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	ए. डी.	किस्सा
५१८८	१०	६८२ भैं	०.१० ½	दक्षिण
	३०	६८८ भैं	०.०८	दक्षिण
	३१	५१९ भैं	०.०२	दक्षिण
		६५३ भैं	०.०१ ½	दक्षिण
	५८	३४८ भैं	०.०ऽ	दक्षिण
		३१२ भैं	०.१२	दक्षिण
		४१ भैं	०.०६ ½	दक्षिण
२०ऽ डी	६८	३४ऽ भैं	०.२२ ½	दक्षिण
	८१	१३४ भैं	०.१०	दक्षिण
	१९०	२२६ भैं	०.०८	दक्षिण

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

R.K. Chaudhary

Director

Sample output to test PDF Combine only

नं. 1 सब रामविलास सिंह के पास राजय सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित शाखा दानापुर से कर्ज लेकर ट्रैक्टर मैशीन खरीद किये थे। इसी मैशीन की दोनों भाई किसी पंच के सामने रख लगा कर रोड़ पर ले कर मीटर बैंक का भरण दे दिया जाय। अगर बैंक के भरण में रुप दाम लगाते है तब [illegible] दोनों भाइ बराबर [illegible] हिस्सा [illegible] हिस्सा बैंक के [illegible] हो आदा दें तब बाकी [illegible]

नं. 2 पिता जी के श्राद्ध में 5000/- (पाँच हजार रुपये) खर्च हुआ जिसका आधा 2501/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) श्री मदन मोहन सिंह का हिस्सा हुआ। इस श्राद्ध में श्री मदन मोहन सिंह ने अपना 1000/- (एक हजार) रुपया श्री भरत सिंह को दिया था। श्री मदन मोहन सिंह ने श्राद्ध में 200/- (दो सौ रुपये) फुटकर खर्च किये थे। महुआ के पेड़ का बिक्री [illegible] (तेरह सौ तैंतीस रुपये) श्री मदन मोहन सिंह के हिस्से का [illegible] भरत सिंह के पास जमा है। श्री मदन मोहन सिंह ने श्री भरत सिंह को 450/- (दो सौ पचास रुपये) अपने हिस्से का रुपया श्राद्ध के खर्च में मिलाने के लिए दिया था। इस तरह 2500 - 1323 रु० = 1177 रु० बचता है। श्री मदन मोहन सिंह 1177/- (सात सौ सतहत्तर रुपये) श्री भरत सिंह को देंगे। [illegible]

नं. 3. माँ के श्राद्ध में दोनों भाई मिलकर बराबर खर्च करेंगे।

नं. 4. सन 1958-59 तक का बकाया कुल मालगुजारी दोनों भाई आधा आधा देंगे।

नं. 5. सन 1958-59 तक परवल का कुल बकाया राशि दोनों भाई आधा-आधा देंगे।

नं. 6. जमीनी घर के बिजली [illegible] सन 1958-59 तक जो बकाया

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R. K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

है उसमें श्री मोहन सिंह १००) (एक सौ रुपये) श्री भरत
देंगे। श्री भरत से १००) (एक सौ रुपये) श्री मदन मोहन सिंह से
लिए गये। ८) रुपये आपने भाग से मिलाकर नि मही का कुल बनाके
लेकर दान करेंगे।

न. ६. खण्ड में २१० राम विलास से [illegible]
[illegible] का बनाया [illegible]
रुपया आठ पैसे) है। [illegible] ३) तीन रुपये
रुपये लेकर देंगे। बाकी पाँच ३) तीन रुपये अठत्तर रुपये
चौरासी पैसे) प्रत्येक भाई देंगे।

न. ८. श्री रामविलास सिंह की मृत्यु के बाद श्री भरत सिंह
बरनपुर से मकान का निशान [illegible] है तब निशान बदलने में
जो खर्च हुआ है उसे चार को आठ आठ रुपये [illegible] श्री भरत
सिंह दस दें। बाकी आधा रुपये श्री मदन मोहन सिंह को दें।

न. ९. [illegible] श्री मदन मोहन [illegible] है इसलिए [illegible]
श्री मदन मोहन सिंह की पत्नी को [illegible]

न. १०. Cancelled श्री मदन मोहन सिंह को दिया गया।

न. ११. सिलाई मैथिन श्री भरत सिंह को दिया गया।

न. १२. कटी काटने वाली मैथिन श्री भरत सिंह को दिया गया।

न. १३. दोनों बैलों के बिक्री का [illegible] श्री भरत सिंह के पास है।

यह कुल सर्त [illegible] श्री भरत सिंह को [illegible] गया।

न. १४. सादपत्र [illegible] रामविलास सिंह के [illegible] है इसलिए इस सादपत्र
में तीनों भाई का बराबर हक है। अतः तीनों भाई मिलकर सादपत्र को
बेचने का रुपये को बराबर बाटने [illegible] पंच के सामने दान लगाकर
[illegible] में भी आधा आधा [illegible] सादपत्र ले सकते हैं।

Sample output to test PDF Combine only

मुल्य देकर रुपया पावेंगे । रसीद लिखना है ।

नं. १५ दीवाल घड़ी श्री भरत सिंह के पास है तथा टेबुल घड़ी श्री मदन मोहन सिंह के पास है । जिनके पास जो घड़ी है उन्हीं के पास रहेगी ।

नं. १६ श्री भरत सिंह के पास है सिलींग फैन तथा एक टेबुल फैन है सो उन्हीं के पास रहेगी ।

नं. १७ श्री मदन मोहन सिंह के पास एक सिलींग फैन तथा एक टेबुल फैन है सो उन्हीं के पास रहेगी ।

नं. १८ श्री मदन मोहन सिंह के दो रजाईयों की आधा आधा श्री भरत सिंह के श्री मदन मोहन सिंह की पहनी घड़ी ना भुलाई हुई घड़ी की वापस दे में श्री भरत सिंह को देना पड़ा था उसका आधा का हिसाब [illegible] रुपया गया ।

नं. १९ श्री मदन मोहन सिंह को ३ भाई तार की श्री भरत सिंह के जिस घर में लगा रखे हैं । वह तार उसी घर में लगी रहेगी ।

नं. २० दीवाल में लगा हुआ शीशा श्री भरत सिंह के हिस्से में रहेगा ।

नं. २१ श्री मदन मोहन सिंह को श्री भरत सिंह दे रहे ।

नं. २२ [illegible] घर में श्री [illegible] पक्ष को नहीं दिया जाता है ।

नं. २३ रामपुर वाला खेत [illegible] के पास रुपया ५२४.२५ का बाकी चावल श्री भरत सिंह अपने अपने पास रख लेंगे ।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

[illegible] सामने [illegible] का एक पेड़ तथा एक आम का [illegible] मालदह के बगीचे कुल तीन [illegible] में दिया गया।

प्र० २५. श्री सरदार सोहन सिंह को दीक्षा तरफ से चिलोरा का एक पेड़, उसके सामने [illegible] मालदह का एक पेड़ और चिलोरा के सामने [illegible] मालदह का [illegible] बगीचे कुल तीन पेड़ों में दिया गया।

नोट :- उपरोक्त बाग़ सीजा [illegible] प्रदान कुलश्री विमला सहगल [illegible] प्र० २५ में दिखाया गया है। इसके [illegible] बराबर आमों में बांट दिया जाता है। उत्तर तरफ [illegible] श्री सरदार सिंह को दिया गया है और दक्षिण वाला बाग़ श्री सरदार सोहन सिंह को दिया गया है। पेड़ सूख जाने पर दोनों [illegible] अपने हिस्से की [illegible] करेंगे। जो [illegible] में अंकित है।

प्र० २६. अब [illegible] पक्ष अपने [illegible] को उनके [illegible] में [illegible] (मालदह आम, नवाब) को दे दिया जाए।

प्र० २७. श्री [illegible] (नेमकुमार) को अपने [illegible] लिए दस साल पालन [illegible] (२ हो) मन मालदह [illegible] तथा १ (५ ½) किलोग्राम [illegible] श्री सरदार सिंह देंगे।

प्र० २८. श्री [illegible] सिंह के परिवार [illegible] तथा श्री सरदार सोहन सिंह के पोता-पोती के लिए अपनी [illegible] बगीचे आम से ६-६ माह [illegible] किया करेंगे।

Sample output to test PDF Combine only

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only

नं०3५श्री मदन मोहन सिंह अपनी भजन में बिजली लगा सकते।
नं 32 मकान के बाद श्री मदन सिंह रतनपुर के घर को दो खण्डों में व
को श्री मान सिंह को सुनने के लिए देंगे। दोनों आपस में तै
कर लिए हैं। उसका तीन प्रतियां बनाकर एक प्रति बंक के पास देंगे
तथा एक एक प्रति अपने अपने पास रखेंगे।
सं. 32. दोनों की मांगों पर विचार किया गया। उपरोक्त निर्णय
प्रस्ताव कुछ मानी नहीं रहा।
इन्द्र सिं- १२- ऽ- ८५

१२/८/८५

गजेन्द्र प्रताप सिं
१२/ऽ/-५

कृष्णानन्द सिं
१२.ऽ.८५

पृथ्वीराज सिंह १२.ऽ.८५

लेखक
श्रीखलानन्द सिन्हा
१२.ऽ.८५

मदन मोहन सिंह पंचो का फैसला पढ़कर सुनाया गया
व कबूल है बाकलम रंधास दि०12-9-85

मोती लाल सिंह पंचों का फैसला पढ़कर सुनाया गया दि०
व कबूल है बाकलम रंधास दि० १२-ऽ-८५

For Raunak Vaun
R. C. Chaudh
Director

Sample output to test PDF Combine only

Book No.- 1 / Deed No.



057

Summary of Endorsement

...ent was presented for registration ... Thursday, the 25th of November 2010 by Sal...

A stamp duty of Rs. 438740/- and other fees of Rs. 36014/- has been paid in it.

The document was found admissible. The ... graphs and fingerprints and signatures of ... executants, and their identifiers, ... have admitt... Before ... are attached on the reverse page

The document has been registered as deed ... Book No. 1, Volume No. 454 on pages fro... 167 to 179 and has been preserved in total 13 ... No. 70 ... Year 2...

SCANNED

Date : 25/11/2010

Token No 33661/2010

...Registering Officer, Pat...

!! ॐ !!

निर्विवाद विक्रय पत्र

1. विक्रेतागण का नाम एवं पता :-

1. श्रीमति सविता मनोहर पति श्री सुनील मनोहर
2. श्रीमति अमिता खेमानी पति श्री संदीप कुमार

साकिनान- जनकधारी लाज तेड, पोस्ट दो थाना- ...पुर,
जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

For Raunak Valves ...

R.K. Chaudh...

Director

Sample output to test PDF Combine only

श्रीमति सुमन गुप्ता पति श्री राजेश गुप्ता साकिन- सदर बाजार थानापर, पोस्ट वो थाना- दानापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

श्रीमति कमला देवी पति श्री बिहारी प्रसाद, साकिन- बोगंज, भट्ठा मोड, देवी चौड़ा मंदिर दानापुर, थाना वो पोस्ट- ~~दानापुर, जिला-पटना, भारतीय नागरिक।~~

(इसमें इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है)

2. क्रेता का नाम एवं पता :-

रौनक वाटिका प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय-108, इमारत फिरदौस, एक्जीविशन रोड, पटना, थाना-गाँधी मैदान, जिला-पटना, द्वारा निर्देशक श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, पिता- श्री बनवारी लाल चौधरी, साकिन-एफ-4/बी, पुष्प विहार, एक्जीविशन रोड, पटना, थाना-गाँधी मैदान, जिला-पटना भारतीय नागरिक। ~~PAN-AADCR9925K.~~

3. वसीका का प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय पत्र (केवाला वैयला कलामी)।
(Absolute Sale Deed)

4. प्रतिफल धन (मूल्यांकन) :-

(Consideration Money)

मो0-17,32,693/- (सतरह लाख बतीस हजार छः सौ तरानवे रुपया) मात्र।

For Raunak Vatika ...
Director

Sample output to test PDF Combine only

5. सम्पति का विवरण :-

(Description of the Property)

हमगी वो तमामी मवाजी 7187.4 वर्गफीट (सात हजार एक सौ सतासी दशमलव चार वर्गफीट) यानि 16.5 डिसमिल एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी लायक सकना बाके मौजा- कोथवाँ, परगना- फुलवारी, थाना-दानापुर, सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना है। जिसका तौजी नं0-सी।8, थाना नं0-37 (सैंतीस), मूल्यांकन कोड नं0-158, खाता नं0-151 (एक सौ एकावन), खेसरा सर्वे प्लॉट नं.-329 (तीन सौ उन्तीस) का पार्ट, सम्पति का मालगुजारी सलाना मो0 2.00 रुपए अलावे शेष वगैरह वजरिये अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय दानापुर में स्थित है वो सम्पति पटना नगर निगम क्षेत्र के अन्दर है, जिसकी चौहद्दी हस्व जैल है।

चौहद्दी

उत्तर :- सर्वे आहर वो रास्ता

दक्षिण :- सर्वे प्लॉट नं0-331

पूरब :- पार्ट प्लॉट नं0- 329 श्री मदन मोहन सिंह

पश्चिम :- सर्वे प्लॉट नं0-330

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only

संदर्भ

यह कि लेख्य सम्पत्ति कंडिका -5 में वर्णित है, जिसे विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में बिक्रय हेतु इस विलेख का निष्पादन करते हैं वो उक्त विक्रय सम्पति विक्रेतागण की खास खरीदगी सम्पति है जिसका वैय वसीका नं0-6888, जिल्द नं0-101, सी. डी0-16, पेज नं0- 404 से 410 बुक नं0-1, दिनांक- 02.08.2010 ई0 को दानापुर निबंधन कार्यालय के माध्यम द्वारा बनिस्ते श्रीमति सविता देवी पति श्री सिकन्दर कुमार, एवं श्रीमति गायत्री देवी पति श्री अजीत कुमार, साकिनान-एस0 के0 पुरम लेन नं0-21, बया टोला, पोस्ट वो थाना- दानापुर, जिला-पटना से खरीद किये हैं बादहु खरीदारी की तिथि से विक्रेतागण अपने क्रय सम्पति पर काबिज दाखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर वो रहकर उससे उत्पतीत आय का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक मौजूदा वक्त तक करती चली आ रही है। वो उक्त सम्पति का सलाना लगान बिक्रेतागण अपने नाम से अदा वो वसुल कर रहे हैं जिसका जमाबंदी नं0 1677 सन् 2010-11 ई0 है। इस प्रकार सम्पति संबंधी खास हक वो हिस्सा वो दखल कब्जा का एकमात्र प्रमाण खास विक्रेतागण को प्रमाणित होता है। तथा उपरोक्त सम्पति सभी तरह के बुक्स हकियत से पाक वो साफ एवं ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है

यह कि विक्रेतागण को तत्काल चन्द तरह के आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु रूपयों की

For Raunak Vatika
Director

Sample output to test PDF Combine only

जरूरत है, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहने के कारण परिवार के अन्य कनीय तथा वरीय सदस्यों के हित में इस विलेख की कंडिका-5 में वर्णित सम्पति के बिक्रय करने की घोषणा कर प्रचार किये। जिसपर अन्य ग्राहकों के साथ क्रेता से भी बाते हुई लेकिन इस विलेख के क्रेता के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य देने के लिए अन्य कोई दूसरा ग्राहक तैयार नहीं हुये। फलतः बिना किसी लोभ, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव एवं फुसलाव, दबाव, धमकाव के अपने-अपने तथा अपने-अपने वारिसानों का लाभ-हानि वर्त्तमान या भविष्य को समझ बुझकर तथा पूर्ण मानसिक संतुलन की स्थिति में मो0-17,32,693/- (सतरह लाख बतीस हजार छः सौ तिरानवे रूपया) मात्र में अपने-अपने लाभ हानियों को भलि-भांति समझ बुझकर क्रेता के साथ बिक्रय की बातचीत पक्का किये जो प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेतागण इसे क्रेता के साथ बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुकी हैं और इस सम्पत्ति को बिक्रय करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेतागण को प्रतिफल के रूप में मो0-17,32,693/- (सतरह लाख बतीस हजार छः सौ तिरानवे रूपया) मात्र प्राप्त होना निश्चित हुआ है विक्रेतागण बनाम क्रेता से उक्त प्रतिफल की धन राशि कवर्ल

For Raunak Vanaspati Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

तहरीर वसीके हाजा के बैंक ड्राफ्ट द्वारा गवाहान के समक्ष वसुल पा चुकी हैं। जिसका विवरण तफ्सील जरसमन वसुली में दर्शाया गया है अब एक भी रूपया विक्रेतागण को क्रेता के यहाँ बाकी नहीं रह जाता है।

यह कि उक्त वर्णित धन से प्रतिफल की धन राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेतागण, क्रेता को सम्पति का विवरण कंडिका-5 में अंकित भू-खण्ड हमेशा के लिए मूल्य के बदले बिक्रय एवं हस्तांतरित करते हैं। इस सम्पति से संबंधित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार, विक्रेतागण को प्राप्त थे, क्रेता को वो वारिसान क्रेता को हासिल हुआ वो भविष्य में होता रहेगा।

यह कि उक्त सम्पति (कंडिका-5 में वर्णित) को धारण एवं भोग करने का अधिकारों का त्याग क्रेता के पक्ष में करते हुए सम्पति क्रेता को सौंप दिये है तथा कब्जा प्रदान कर दिये हैं। क्रेता अब इस सम्पति को बिना किसी प्रतिबंध, विघ्न, ऋणभार एवं अधिग्रहण बाधा रहित सम्पति के स्वामी के रूप में अपने स्वेच्छा से पूर्ण उपयोग भविष्य में करते रहेगें।

यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेतागण के माध्यम से उक्त सम्पति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार उन्मुक्ति

For Raunak Va...
Director

Sample output to test PDF Combine only

या विशेषाधिकार का दावा करता है तो वह दावा इस बिक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक वो शुन्य होगा।

यह कि यदि बिक्रय विलेख में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण क्रेता को संबंधित सम्पति अथवा उसके कुछ भू-भाग अथवा उसके साम्पतिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है तो विक्रेतागण, क्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपने तत्कालिन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल या अचल या दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के द्वारा करने का उत्तरदायी होंगे।

यह कि विक्रेतागण, इस सम्पत्ति को क्रेता द्वारा धारण या उपभोग करने के संबंध में भविष्य में समय-समय किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करते हैं।

यदि बिक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात् किसी प्रकार की देयता बिक्रय तिथि से पूर्व की इस सम्पति पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि में मांगे जाते है, तब विक्रेतागण उस राशि को स्वयं जमा करेगें। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेतागण अथवा उनके सम्पति से वसूल लेवेगें।

यदि किसी कारण यह विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शुन्य घोषित कर दिया

For Raunak Vatika
R.K. Chaudh
Director

Sample output to test PDF Combine only

जाता है तब क्रेता, विक्रेतागण से प्रतिफल की राशि सहित बैंक दर पर ब्याज तथा अन्य प्रकार की क्षतियों की राशि वसूल पाने का अधिकारी होगें।

यह कि क्रेता अथवा उनके उत्तराधिकारियों को यह अधिकार होगा की वह राजस्व अभिलेख विकायों एवं निगमों के अभिलेखों पर जहाँ-जहाँ जब-जब जिस-जिस स्थान पर आवश्यक अथवा अनिवार्य समझें वहाँ-वहाँ अपना नाम नामांकित करवा लेवेगें इसमें विक्रेतागण एवं उनके उत्तराधिकारियों या उनके स्थानापन्न को किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि लेख्य सम्पति किसी भी प्रकार के न तो विवादित है और न सरकार द्वारा अधिग्रहित ही है, यह पूर्णरूपेण निर्विवाद है।

यह कि धारा से पूर्व उल्लेखित विक्रेतागण एवं क्रेता शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक की वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेतागण तथा क्रेता ही होगें एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी उत्तराजिवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य संबंधित व्यक्ति भी सम्मिलित होगें। साक्षियों की उपस्थिति में हमलोग नामांकित विक्रेतागण बिक्रय विलेख के समस्त विवरणों एवं धाराओं के प्रति विलेख में अपना हस्ताक्षर करते हैं।

Sanjita Mumohar.
Chief Manager
25-11-2010

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

तफसील वसुली जरसम्मन

ड्राफ्ट/चेक नं0	दिनांक	बैंक का नाम	रकम	प्राप्ति
015940	25.10.10	एक्सिस बैंक लि0 बोरिंग रोड, पटना	1,25,000/-	अमिता कुमारी
022015	06.10.10	"	2,50,000/-	"
066908	25.11.10	एक्सिस बैंक ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली	58,1,73.25	"
015041	25.10.10	"	1,25,000/-	सुमन गुप्ता
022016	06.10.10	"	2,50,000/-	"
066909	25.11.10	एक्सिस बैंक ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली	58,1,73.25	"
015942	25.10.10	"	1,25,000/-	कमला देवी
022017	06.10.10	"	2,50,000/-	"
066910	25.11.10	एक्सिस बैंक ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली	58,1,73.25	"
015939	25.10.10	"	1,25,000/-	सविता मनोहर
022014	06.10.10	"	2,50,000/-	"
066907	25.11.10	एक्सिस बैंक ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली	58,1,73.25	"

टोटल 17,32,693/- (सत्रह लाख बतीस हजार छः सौ तिरानवे.- रूपया) मात्र।

Sachin Mumhar
25.11.2010

For Raunak Vanij
Director

Sample output to test PDF Combine only

यह कि यह निर्विवाद विक्रय पत्र क्रेता आना
नं0-2 के पक्ष में लिख दिया कि समय पर काम आवे वो
प्रमाण रहे।

तहरीर तारीख :- 25-11-10

टंकणकर्त्ता

अजीत कुमार
(अजीत कुमार)
कलेक्ट्रीयट, पटना

प्रारूपकर्त्ता

Sanjay Kumar
Advocate
Civil Court, Patna

R.K Chaudhary
25/11/10

R.K Chaudhary
25/11/10

For Raunak Valuers
R.K Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

नजरिया नक्शा

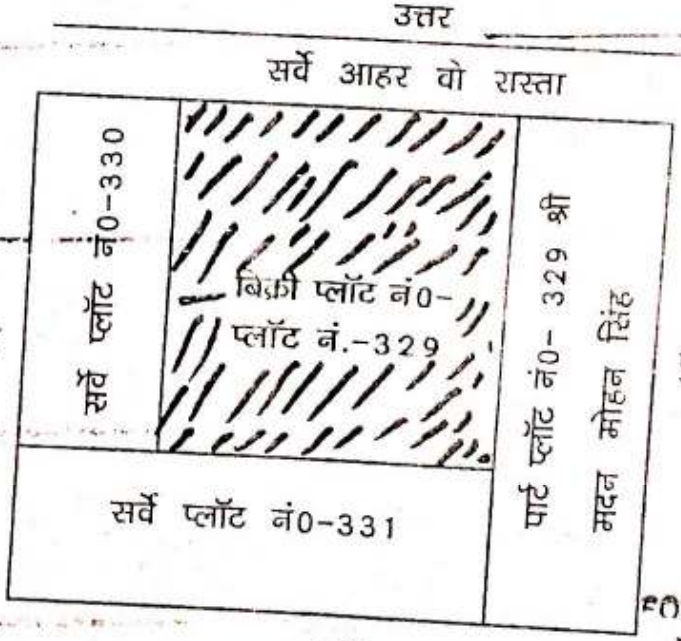
1. विक्रेतागण का नाम एवं पता :-

1. श्रीमति सविता मनोहर पति श्री सुनील मनोहर 2. श्रीमति अमिता कुमारी पति श्री संदीप कुमार साकिनान- जनकधारी लाल रोड, पोस्ट वो थाना- दानापुर, जिला- पटना। 3. श्रीमति सुमन गुप्ता पति श्री राजेश गुप्ता साकिन- सदर बाजार थानापर, पोस्ट वो थाना- दानापुर, जिला- पटना। 4. श्रीमति कमला देवी पति श्री बिहारी प्रसाद, साकिन- बीबीगंज, भट्टा मोड, देवी चौड़ा मंदिर दानापुर, थाना वो पोस्ट- दानापुर, जिला-पटना,

2. क्रेता का नाम एवं पता :-

रौनक वाटिका प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय-108, इमारत फिरदौस, एक्जीविशन रोड, पटना, थाना-गाँधी मैदान, जिला- पटना, द्वारा निर्देशक श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, पिता श्री बनवारी लाल चौधरी, साकिन-एफ-4/बी. पुष्प विहार, एक्जीविशन रोड, पटना, थाना- गाँधी मैदान, जिला -पटना।

मौजा- कोथवाँ, परगना- फुलवारी, थाना-दानापुर, सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री ओ जिला पटना है। जिसका तौजी नं0-सी18, थाना नं0-37 (सैतीस), गूल्यांकन कोड नं0-158, खाता नं0-151 (एक सौ एकावन), खेसरा सर्वे प्लॉट नं.-329 (तीन सौ उन्तीस) मवाजी 7187.4 वर्गफीट



FOR RAUNAK VATIKA PVT LTD
R.K Chaudhary
25/11/10
DIRECTOR

विक्रेतागण का हस्ताक्षर
Sabita manohar.
सविता मनोहर
25-11-2010

क्रेता का हस्ताक्षर

Amita Kumari
25/11/10

सुमन गुप्ता
25/11/10

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 104080 *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* Rs. 5000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 34660 *Amt. paid through Bank Challan -* Rs. 169754

Registration Fee

FEE PAID								LLR + Process Fee		Service Charge		
A1	34660	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	LLR	500	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc Fee	50	325
A9	0	DD	0	I	150	K1c	0	Mb	25	Total-	550	
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54			
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					

TOTAL- 35139

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 36014

Date : 25/11/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office Patna on Thursday, 25th November 2010 by Sabita Manohar W/O-Srl Sunil Manohar by profession Others. Status : Executant

Sabita manohar
सविता मनोहर
25-11-2010

Signature / L.T.I. of Presentant *Date : 25/11/2010*

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Shivjee Prasad age ... Sex M son/daughter of S/O-Kamala Prasad resident of Janakdhari Lal Road,Danapur,Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument

Date : 25/11/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 454 on page no. 167 - 179 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-70 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : 25/11/2010

Registering Officer
Patna

Token No.33661 Year - 2010 Slip No. - 33096 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 27964 NIC-Bihar

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only

Serial No.- 8505

Deed No.- 6888

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

D 986356

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर

दिनांक 02/08/2010

Savita Devi

निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 120240/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 30965/- निबंधन तथा शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राहय पाया गया। जिन लेख्यकारों ने अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम फोटो अंगुलियों के छाप ली गयी। प्रमाणित हो इसे दस्तावेज सं० 6888 के रूप में पुस्तक सं० 1 के सेक्शन 410 तक CD 16 में आज निबंधित किये गये पृष्ठ 7

Date : 02/08/2010

Token No.- 8663 / Year-2010

निबंधन पदाधिकारी

1– लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता :–

(1) श्रीमती सविता देवी पति श्री सिकन्दर कुमार

(2) श्रीमती गायत्री देवी पति श्री अजीत कुमार

For Raunak Vatika Pvt. ...

R.K. Chaudhary

Director

Sample output to test PDF Combine only

दानो का साकिन- एस० पी० पुरा जन नं० 21 [illegible] टोला, पोस्ट वो थाना- दानापुर जिला- पटना भारतीय नागरिक ।

2- लेखधारिणीगण का नाम एवं पूरा पता :-

(१) श्रीमती सविता मनोहर पति श्री सुनील मनोहर

(२) श्रीमती अमिता कुमारी पति श्री सदीप कुमार

साकिन- [illegible] जिला- पटना

(३) श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता साकिन- सदर बाजार दानापुर, पोस्ट वो थाना- दानापुर, जिला- पटना

(४) श्रीमती कमला देवी पति श्री बिहारी प्रसाद, साकिन- बीबीगंज मठा मोड़ नयी बाजा मन्दिर दानापुर, थाना वो पोस्ट- दानापुर, जिला- पटना भारतीय नागरिक ।

3- लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय-पत्र यानि [illegible]

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4- मूल्यांकन :-

रु० 15,03,000/- रूपया (पन्द्रह लाख तीन हजार रूपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण :-

मवाजी 7187.4 वर्गफीट (सात हजार एक सौ सतासी दशमलव चार वर्गफीट) यानि 16.5 डीसमल एरिया आवासीय कोकयत कास्त रैयती बासगी नगरी [illegible]

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.C. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

मौजा— कोथवां, परगना— फुलवारी थाना दो नं० दानापुर, सदर रजिस्ट्री दो जिला— पटना थाना नं०— 37, हाल्डी नं०— सी०—18, खाता नं०— 151 (एक सौ एकावन), प्लौट नं० 329 (तीन सौ उनतीस) का अंश भाग । जिसका सलाना लगान मो0 6.00 रुपया द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर ।

"चौ हद्दी"

उत्तर : सर्वे आहर दो रास्ता ।

दक्षिण: सर्वे प्लौट नं०— 331

पुरब : पार्ट प्लौट नं०— 329 श्री मदन मोहन सिंह ।

पश्चिम: सर्वे प्लौट नं०— 330

"स्थ द्द ई"

विदित हो कि खाना नं०— 5 मे वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारीगण ने बजरिये बसीका केवाला बैय दिनांक 27—08—2009 ई० को नविस्ते श्री शशि भूषण त्रिपाठी पिता श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी— वो बहैसियत अभिभावक वो सरक्षक अपने नाबालिग पुत्र अविनाश कुमार त्रिपाठी की ओर से साकिन— सारसिवान, थाना— आरा मुफसिल, जिला— भोजपुर (आरा), वो श्रीमती गगेश्वरी देवी सुपुत्री शिव कुमार पाण्डेय साकिन— कुन्डेसर, थाना— शाहपुर, जिला— भोजपुर (आरा) से बैय करार किया है, जिसका बुक नं०— 1, जिल्द नं०— 83 पेज नं०— 38 से 46 बसिका नं०— 5736 टोकन नं०— 7033 सिरियल नं०— 6867 निबंधित अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर वाके है । बैय खरीदारी के दिन से लेख्यकारीगण खाना नं०— 5 मे वर्णित सम्पत्ति पर काबिज—दखिल मालिक मुस्तकिल चले आते है वो है। खाना नं०— 5 मे वर्णित सम्पत्ति पाक—साफ वो ऋण मुक्त सम्पत्ति है ।

अतएव लेख्यकारीगण को आवश्यक कार्यो के निष्पादन हेतु रुपयो की अत्यन्त आवश्यकता थी, फलतः वह खाना नं०— 5 मे वर्णित सम्पत्ति को बिक्री लेख्यकारीगण नही करते है तब

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.C. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

तक रूपयो का शीघ्र प्रबन्ध करना लेख्यकारीगण के [illegible] आय से प्राय मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारीगण ने बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था मे अपना सम्पूर्ण लाभ–हानि को भलो–भांति समझ बुझ कर अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकावे के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियो के साथ खाना न0– 5 मे वर्णित सम्पत्ति को संगयानुसार उचित मूल्य मो0 15,03,000/– रूपया मात्र में वदस्त लेख्यधारिणीगण खाना न0– 2 के हाथ से [illegible] निर्विवाद बिक्रय–पत्र यानि कबाला बैयला कलामो किया वो [illegible] निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारीगण ने क्रेता पक्ष से इस वसीका पर हस्ताक्षर बनाने के पूर्व ही नगद वसूल पा चुके है। यह कि खाना न0– 5 में वर्णित सम्पत्ति मे जितना भी हक वो दखल–कब्जा आज तक लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल–कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तातरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य मे प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाना न0– 5 वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग मे लावे वो नाम अपने वजाय लेख्यकारीगण के वसिरिस्ते बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय–पत्र के माध्यम से नामाकित करा लेवेगी उस वक्त लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है–वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्बत [illegible] मजकूर के करें तो उनकी उजूरदारी [illegible]

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

विक्रय–पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारीगण (बिकेतांओ) ने लेख्यधारिणीगण (क्रेताओं) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार सबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी वो गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त एवं पाक–साफ है वा आज तक लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी ने खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति का किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं एवं नहीं किरते हैं । जिससे लेख्यधारिणीगण पूर्णतः संतुष्ट वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी वो गैर सरकारी खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पत्ति के अंश या कुल भू–भाग से बेदखल कर दिये जायें जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षति पूर्ति बाबत बेचनेवाले से जो–जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़ा उसे लेखक से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेंगे । अतः अब लेख्यकारीगण या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह वसीका निर्विवाद विक्रय–पत्र खान केवाला बयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

दिनांक :– 02.08.2010 ई०

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

लेख्यकारीगण :

अरुण कुमार सिंह
अपर निबंधन - III, पटना
02/08/2010

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 90180
Add. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 30060
(Paid Rs. 500/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 150695/- through Bank Challan)

FEE PAID										
	A1	30060	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lt	0
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Lm	0
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mp	0
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	45
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan	300

Total Fee 30945

Registering Officer
Danapur

Date : 02/08/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at 06:00 PM on Monday, 02nd August 2010 at the Sub Registry Office, Danapur by Savita Devi (Executant) Sikandar Kumar

by profession House Wife.

Registering Officer
Danapur

Signature of Presentant

Date: 02/08/2010

सविता देवी

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Sikandar Kumar age Sex M son/daughter of Vidya Sagar Singh resident of S K Puram, Lane No -21 Danapur Patna

Registering Officer
Danapur

Date . 02/08/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 7 pages in the volume 2[illegible] and document no. of which is printed on the First Page of the document.

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Registering Officer
Danapur

Date : 02/08/2010

Token No. 8663 Year : 2010 Sl.No. 8505 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 6888 NIC-Bihar

Sample output to test PDF Combine only

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

क्रम संख्या ... क्रेता ... पृष्ठ संख्या ... 643261

बिहार सरकार

जगदीश प्रसाद गुप्ता महांक विद्युत निबंधन कार्यालय सीतापुर के नं० 680

अवर निबंधन कार्यालय, सीतापुर

दिनांक 27/08/2009 को Shashi Bhushan Tripathi(Gar) निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 104300/- मुद्रांक शुल्क तथा रु० 26905/- निबंधन तथा अन्य शुल्क को भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया तथा निष्पादन स्वीकार किया उनको तथा उनके पहचानकर्ता के नाम आदि इस पृष्ठ पीछे अंकित है । इसे दस्तावेज नं० 5736 के रूप में पुस्तक नं० 1 में पृष्ठ संख्या 38 से 46 तक CD 13 में आज दिनांक 9 को लिपिबद्ध किया गया ।

Date 27/08/2009 Token No 7033 /Year 2009

1.नाम लेख्यकारीगण:- 9-श्री शशि भूषण त्रिपाठी पिता का नाम श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी बहैसियत अविभायक वो संरक्षक अपने अवयस्क पुत्र श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी

For Raunak Vatika P...
Director

Sample output to test PDF Combine only



ओर से निवास स्थान ग्राम सरारिखान थाना आरा मुफसिल जिला भोजपुर

(२) श्रीमती गंगेश्वरी देवी पत्नी श्री शिव कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम थाना शाहपुर जिला भोजपुर (आरा)

दोनों लेख्यकारीगण भारतीय नागरिक हैं जिन्हें इसके पश्चात लेख्यकारीगण / विक्रेता के नाम से सम्बोधित किया जायगा।

2.नाम लेख्यधारीगण–

(१) श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री सिकन्दर कुमार

(२) श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री अजीत कुमार



दोनों लेख्यधारिणी का निवास स्थान ग्राम पुरम् लेन नं0 21 नया टोला थाना पुत्र पत्रालय दानापुर जिला पटना जिन्हें इसके पश्चात लेख्यधारीगण / क्रेता / खरीदार के नाम से सम्बोधित किया जायगा भारतीय नागरिक

3.लेख्य प्रकार–

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि अत्यन्त अटल का करारनामा (DEED OF ABSOLUTE SALE)

4.मूल्यांकन–

मो0 13,03,000/- तेरह लाख तीन हजार रुपया मात्र।

For Raunak Vatika
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

5 सम्पत्ति का सम्पूर्ण-विवरण

नवाजी (7167.4 वर्गफीट) सात हजार एक सौ सड़सठ दशमलव चार वर्गफीट जमीन 165 डिo एवेन्यू नाम अवस्थित होल्डिंग कायमी नगरी वार्ड नंबर तीस थाना दो सब रजिस्ट्री – दानापुर जिला दो जिला पटना जिसकी चौहद्दी (सी–अठारह) थाना संख्या 37 (सैंतीस) खाता संख्या 151 (एक सौ एकावन) एवं खसरा संख्या 329 (तीन सौ उनतीस) का अंश भाग सालाना लगान मो0 0.75 पचहत्तर बजमोन्दारी बिहार सरकार दानापुर पटना।

चौ ह द्दी

उत्तर:– सर्वे आहर दो रास्ता

दक्षिण – सर्वे प्लौट न0 331

पूरब:– सर्वे प्लौट न0 329 का अंश भाग श्री मदन मोहन सिंह

पश्चिम:– सर्वे प्लौट न0 330

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति पूर्ण रूप से आवासीय एवं व्यावसायिक है तथा बिहार सरकार के खास महाल क्षेत्र से बाहर है।

सं द र्भ

हकियत यह है कि उपरोक्त खाने न0 5 में वर्णित सम्पत्ति में से वर्गफीट जमीन जानिब उत्तर की खरीदारी होल्डिंग नं0 [illegible] त्रिपाठी ने अवयस्क पुत्र श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी के नाम से अपने द्वारा

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

अर्जित आय से बजरिय बयनामा केवाला [illegible]
24-06-2008 ई0 को नविरत श्री सुबोध कुमार [illegible]
का नाम स्वर्गीय परमा नन्द सिंह निवास स्थान [illegible]
जिला पटना से किया था। जिसे अवर निबंधन कार्यालय दानापुर [illegible]
संख्या 4469 के रूप मे पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 70 के पृष्ठ संख्या 95
से 106 तक सीडी 11 मे निबंधित एव कुल 12 पृष्ठो मे संधारित किया गया है।
वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारी न0 1 अपने खास
अर्जित आय से खरीदारी की गयी सम्पति पर बहैसियत सम्पति के मूल मालिक
हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने उपयोग [illegible]
लाते रहे है वो है। वो लेख्यकारी न0 1 का नाम बतौरिश्ता [illegible]
राजस्व विभाग के अचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी [illegible]
दर्ज पाया गया है। जिसका अद्यतन रसीद सन् 2008-2009 [illegible]
है।

और यह कि उपरोक्त खाने न0 5 में वर्णित सम्पति मे से मद्याना 3537.4
वर्गफीट जमीन जानिब दक्षिण की खरीदारी लेखकारिणी न0 2 श्रीमती [illegible]
देवी ने अपने खास स्त्री धन से बजरिय बशिका केवाला [illegible]
तारीख 24-06-2008 ई0 को नविरते श्री सुबोध कुमार [illegible]
पिता का नाम स्वर्गीय परमा नन्द सिंह निवास स्थान [illegible]
जिला पटना से किया था। जिसे अवर निबंधन कार्यालय [illegible]
संख्या 4470 के रूप मे पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या [illegible]
से 119 तक सीडी 11 मे निबंधित एव कुल 13 पृष्ठो मे संधारित [illegible]
वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारिणी न0 [illegible]
स्त्री धन से खरीदारी की गयी सम्पति पर बहैसियत सम्पति के [illegible]
हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने [illegible]
आते रहे है वो है। वो लेख्यकारिणी न0 2 का नाम [illegible]

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R4C Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यालय दानापुर [illegible] दर्ज पाया गया है। जिसका अद्यतन रसीद वर्ष 2008-2009 [illegible] है

लेख्यकारी नं० 1 को अपने अवयस्क पुत्र के उच्च शिक्षा [illegible] लिखाई के लिए एवं अन्य खर्चों के एवं लेख्यकारीगण नं० 2 को अन्य सम्पत्ति की खरीदारी एवं चन्द निजी खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता [illegible] तथा खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री [illegible] रुपया का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारीगण [illegible] मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारीगण बहैसियत सम्पत्ति के स्वामी के हैसियत से [illegible] होकर दो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण [illegible] भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से [illegible] इत्यादि लेकैर बिना किसी बाहरी दबाव दो डराव दो धमकाव के अपना [illegible] हानिलाभ को साथ खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को [illegible] 13,03,000/- (तेरह लाख तीन हजार रुपया) में [illegible] बेचा दो बैय ला कलामी किया। जो [illegible] स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रुपयो को लेख्यकारीगण ने इस [illegible] के पुर्व ही खरीदार से अपने अपने हिस्सा में अनुसार अनुपातिक रूप से [illegible] बेबाक पाया। अब लेख्यकारीगण का एक नया पैसा भी [illegible] रह रहा दो न कभी होगा।

For Raunak Va[illegible]
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे जितना भी हक वो [illegible] लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी का प्राप्त था या भविष्य मे प्राप्त [illegible] वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल [illegible] हस्तातरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ है भविष्य मे प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति [illegible] के मूल सर्वाधिकारी या हकदार वो दखलकार होकर वो [illegible] को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग मे [illegible] लेख्यकारीगण के बजिस्ता बिहार सरकार [illegible] पत्र के माध्यम से सूचनाकित करा लेवेगे। इस वक्त [illegible] उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है तो न होगा वो यदि लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी मजकुर प्रकार से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या [illegible] करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोजावते वर्णिका विक्रय पत्र के [illegible] कानूनी होगा वो किसी भी अदालत मे कानूनी कारवाई करने योग्य नही होगा

लेख्यकारीगण (विक्रेता) ने अपने लेख्यकारीगण [illegible] प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति के अधिकार सम्बन्धी झझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक-साफ है। वो आज तक लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी ने खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तातरण नही किये हैं वो नही लिखे है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सबधी झझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति में पाया जाय या लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को [illegible] फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति से [illegible] से बेदखल कर दिये जाये जिसके किसी [illegible] उनके उत्तराधिकारी को हो तो ऐसी हालत मे [illegible]

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति बकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनका अदा करना पडे उसे लेख्यकारीगण से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवें। उस वक्त लेख्यकारीगण या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह बायेवत निर्विवाद विक्रय पत्र यानि कबाला लेख लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

रवीना देवी
27/8/09

प्रस्तुतकर्ता

27/8/09

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chandel
Director

Sample output to test PDF Combine only

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule 21)

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 78240
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 26060
(Rule Rs. 500/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 130705/- through Bank Challan)

Fee Paid	A1	26060	C	0	H1b	0	Total Fee	500
	A2	0	D	0	H2	0		26905
	A3	0	DD	0		0		
	A4	0	E	0	J1	0		
	F	0	H1a	0	J2	0		

Date : 27/08/2009

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at 04:27 PM on Thursday, 27th August 2009 at the Sub Registry Office, Danapur by Shashi Bhushan Tripathi (Executant) Sachchidanand Tripathi

by profession Others.

Signature of Presentant

Date : 27/08/2009

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are [illegible] Kumari Kanchan Sinha age Sex M son/daughter of Late Parma Nand Singh resident of Rupaspur, Patna.

Date : 27/08/2009

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having [illegible] pages in the [illegible] and has been assigned Serial No. [illegible] is noted on the First Page of the document.

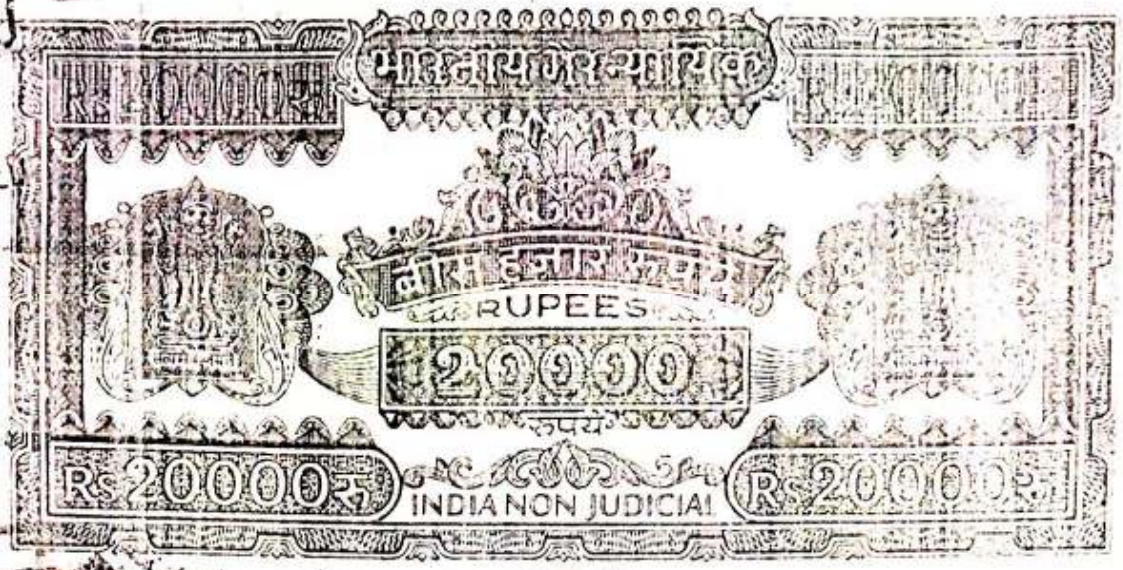
Date : 27/08/2009

Registering Officer
Danapur

Token No. 7033 Year - 2009 Sl.No. 6057 SCORE [illegible] 5236 NIC-Bihar

For Ramak Vanijya Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only



SCANNED

12 13/6/08

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

दिनांक 24/06/2008 का Subodh Kumar

निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 36880/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 10100/- [illegible] अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । [illegible] निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, पता, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है । इसे दस्तावेज सं० 4469 के रूप में पुस्तक सं० 1 की जिल्द सं० 70 के पृष्ठ सं० 95 से 106 तक CD 11 में आज निबंधित एवं कुल 12 पृष्ठों में सम्पादित किया गया ।

ह० [illegible]
(Nilesh Kumar)
निबंधन पदाधिकारी

Date : 24/06/2008

1.नाम लेख्यकारीगण:- १-श्री सुबोध कुमार

२-श्री हरि नारायण सिंह

दोनो के पिता का नाम स्वर्गीय परमानन्द सिंह निवास स्थान रूकुनपुरा, थाना रूपसपुर

For Rauna Vatika
Director

Sample output to test PDF Combine only







(2)

पत्रालय बी0 भी0 कॉलेज जिला [illegible] जिन्ह इसके पश्चात लेख्याकारीगण / विक्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है भारतीय नागरिक।

2.नाम लेख्यधारी:- **श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी** पिता श्री [illegible] श्री शशि भूषण त्रिपाठी निवास स्थान ग्राम सारसिवान थाना आरा मुकसिल जिला भोजपुर (आरा) जिन्हे इसके पश्चात लेख्यधारी / क्रेता के नाम से सम्बोधित किया जायगा भारतीय नागरिक।





For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
Director

Sample output to test PDF Combine only

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

13/6/08 3600/- AB 329404

(3)

3 लेख्य प्रकार:- *निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि कबाला वरा ला कलामी* (DEED OF ABSOLUTE SALE)

4 मूल्यांकन:- मो0 4,61,000/- चार लाख एकसठ हजार रुपया मात्र।

5 सम्पति का सम्पूर्ण:- विवरण

मवाजी (3660 वर्गफीट) तीन हजार छह सौ साठ वर्गफीट यानि मवाजी 0.1[illegible] डेा परानी परता आवासीय हकियत रैयती कोठमी नगदी बाग मौजा कोथवों, परगना – फुलवारी थाना दो सब

पीनापुर

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.

Director

Sample output to test PDF Combine only



बिहार BIHAR

(4)

रजिस्ट्री – दानापुर , सदर रजिस्ट्री ऐ जिला – पटना जिसकी तौजी संख्या सी–18 (सी–अठारह) थाना संख्या 37 (सैंतीस) खाता संख्या 151 (एक सौ एकावन) , सवे खसरा संख्या 326 (तीन सौ उनतीस) , जिसकी सालाना लगान रु0 ... रूपया अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना।

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only



बिहार BIHAR

(5)

चौ ह द दी

उत्तर:— सर्व आहर वो रास्ता

दक्षिण:— पार्ट प्लौट न0 329 श्रीमती गंगेश्वरी देवी इमरोज़ा खरीदार

पूरब:— सर्व प्लौट न0 329 श्री मदन मोहन सिंह

पश्चिम:— सर्व प्लौट न0 330

यह कि उपरोक्त सम्पति पूर्ण रुप से आवासीय एवं सहायक रोड पर स्थित है तथा बिहार सरकार के खास महाल क्षेत्र से बाहर है।

सं द र्भ

यह कि लेख्य सम्पति कड़िका—5 में वर्णित है, जिसे विक्रेता ने क्रेता के पक्ष बिक्रय हेतू इस विलेख का निष्पादन करते हैं। इस लेख्य सम्पति के सर्व

For Raunak Vatika Pvt. Ltd.
R.C Chaudh
Director

Sample output to test PDF Combine only



बिहार BIHAR

(6)

खतियान में श्री रूपा महतो पिता का नाम श्री रघुनाथ महतो वो श्री नरसिंह महतो पिता का नाम नन्दु महतो का नाम दर्ज है। रूपा महतो एक मात्र पुत्र श्री लोकनाथ सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। वो लोक नाथ सिंह अपने दो पुत्रगण क्रमशः श्री राम विलास सिंह एवं श्री मधव सिंह को छोड़कर स्वर्गवास किये। जिसके अनुसार कंडिका -5 में वर्णित सम्पति के साथ अन्य सम्पतियाँ श्री राम विलास सिंह को खास हिस्सा में मिला। जिसपर उक्त श्री राम विलास सिंह ताजिन्दगी स्वयं काबिज दखिल रहकर अपने दो पुत्र क्रमशः श्री भरत सिंह वो श्री मदन मोहन सिंह को अपना वारिस जायज छोड़कर स्वर्गवास किये। बाद में उक्त दोनो भाइयों के बीच आपस में खानगी विभाजन हुआ जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पति श्री भरत सिंह के हिस्से में मिली। श्री भरत सिंह के दो पुत्र श्री पंकज कुमार वो श्री निरज कुमार हुये जो लेख्य सम्पति पर

For Raunak Vaibhav
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only



(7)

निर्विवाद रूप से शान्तिपूर्वक दखल कब्जे मे रहते हुये अपना सम्पति का हस्तांतरित अंशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र द्वारा दिनाक 31-05-2008 ई० को लेख्यकारीगण को बिक्री कर दिये। जिसे जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना के दस्तावेज संख्या 5288 के रूप में पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 257 के पृष्ट संख्या 310 से 321 सीडी 22 में निबंधित एवं कुल 9 पृष्टों मे संचारित किया गया। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारीगण उपरोक्त खाने नं० 5 मे वर्णित सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्थाभी वो हकदार वो दखलकार होकर बारहकर सम्पति को अपने उपयोग एवं उपयोग में लाते रह है। वो लेख्यकारीगण का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार राजस्व विभाग के अंचल कार्यालय दानापुर के दाखिल खारिज वाद संख्या 452 सन् 2006-2007 ई० के अनुसार के नामांकित होकर जमाबन्दी रैयत संख्या 1310 में दर्ज पाया गया है।

For Raunak Valika
Director

Sample output to test PDF Combine only

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

बिहार BIHAR

13/6/06

(8)

लेख्यकारीगण को तत्काल अन्य सम्पति के खरीदार [illegible] की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को बिक्री लेख्यकारीगण नही करते हैं, तबतक रूपया का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारीगण के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारीगण बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तको एवं कानूनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियो के साथ खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 4,61,000/-(चार लाख एकसठ हजार रुपया) में बदस्त [illegible]

For Raunak Vanij
R-K-Chaudh
Director

Sample output to test PDF Combine only

नं0 2 को बेचा यो बैय ला रहलामो किया। वो लेखा निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रूपया को लेख्यकारी नं0 1 ने संयुक्त रूप से इस लिख विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर के पूर्व ही बजरिय भारतीय स्टेट बैंक [illegible] राजाबाजार, पटना शाखा का चेक नं0 355517 दिनांक 11-06-2008 ई0 द्वारा खरीदार पक्ष से वसुल वो वेशाक पाया। जिसे दोनो लेख्यकारीगण स्वीकार किया है। अब लेख्यकारीगण का एक नया पैसा भी केता पक्ष के यहां बाकी न रहा वो न कभी होगा।

खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति मे जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य मे प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपये के बदले हस्तातरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य मे प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0 5 मे वर्णित सम्पति या हस्सियत सम्पति के मूल सवाधिकारी वो हकदार हो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग मे उपयोग मे लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारिणी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग मे इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगे। उस वक्त लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्बत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकाबले बाशेक विक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत मे कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

For Raunak Valin...
Director

Sample output to test PDF Combine only

लेख्यकारीगण (विक्रेताओं) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पूर्णत मुक्त वा पाक साफ हैं। वो आज तक लेख्यकारीगण वा उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण नहीं किये है , वो नहीं लिखे है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति बकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारीगण से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वे देवाने कर लेने उस वक्त लेख्यकारीगण या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वंशिका निर्विवाद विक्रय पत्र यानि बैनामा बैय ला कलमी लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । (समाप्त)

लेख्यधारी का दस्तखत

आपके भूषण त्रिपाठी वल्द शिवनाथ त्रिपाठी
शिवनाथ कुमार त्रिपाठी
25/6/18



For Raunak Vatika ...
Director

Sample output to test PDF Combine only

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 21)

Admissible under Rule 21 duly stamped under Schedule 1A No. 23 of the Indian Stamp Act, 1899 Schedule 1 or 1A No. 23 Also cancelled

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 27660

Addl. Stamp duty paid under BUA/Municipal Act Rs. 9220

Paid Rs. 36900/- by Vide Challan Pages and Rs. 11045/- Through Challan No.

FEE PAID								
A1	9220	C	0	H1b	0	Ka1	0	Le
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Ma
A9	0	D1	0	I	0	K1c	0	Mb
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na
B	0	H1a	0	J2	0	La	0	Scan

Misc Fee 50 | Total Fee 10165

Registering Officer

Date : 24/06/2008 Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at 02:14 PM on Tuesday, 24th June 2008 at the Sub Registry Office, Danapur by Subodh Kumar (Executant) Late Parmanand Singh

by profession Others.

Registering Officer

Signature of Presentant Date : 24/06/2008 Danapur

24/6/08

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Manoj Kumar age Sex M son/daughter of Late Prabhu Narayan Sharma resident of Jagdev Nagar, Rajapur, Patna

Registering Officer

Date . 24/06/2008 Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under Section

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 12 pages in the volume CD 11 and document no of which is printed on the First Page of the document

Registering Officer

Date : 24/06/2008 Danapur

Token No. 5322 Year - 2008 Sl.No. 5186 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 4469 NIC-Bihar

For Raunak Vatika
R.K Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only